



देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या -2019/MMP/10

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 6 जून 2019

1554/2004 में दिए गए फैसले की कठोरता से पालना देते हैं
 अवैध निर्माणों के विरुद्ध आम जन का मिशन
 मास्टर-प्लान

प्रकरण-10
 भाग-1



पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक नृणाब कोठारी की जन्मिहत व्यक्तिमा पर ऐतिहासिक फैसला...

मास्टर प्लान ही मास्टर गाइडलाइन : हाईकोर्ट

जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान के 6 प्रमुख शहरों के मास्टर प्लान में बदलाव मंती

कोर्ट का यह फैसला देण-परेण के सुविधाजित विकास को दिशा करेगा तय

खद रही परेशानियाँ... कॉलोणियों में भूखंडों को जोड़ नहीं बन सकेंगी इमारतें

मास्टर प्लान में बदलाव होगा, कहाँ बनेगी बहुमंजिला इमारतें

वृं हो रहा नृकसान

13 जयपुर में घुटती मांसों

06 जयपुर में घुटती मांसों

06 जयपुर में घुटती मांसों

13 जयपुर में घुटती मांसों

14 जयपुर में घुटती मांसों

17 जयपुर में घुटती मांसों

257 जयपुर में घुटती मांसों



142,विद्युत नगर-बी,अजमेर रोड जयपुर पर बिना अनुमति संचालित होटल CORACAO HOMES

शिकायत की प्रथम रिपोर्ट

1.	भूखंड का पता	भूखंड संख्या-142,विद्युत नगर-बी,अजमेर रोड, जयपुर
2.	संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम	HOTEL CORACAO-HOMES
3.	यदि जे.डी.ए. द्वारा आवासीय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी हो तो उसका ब्यौरा	बीपीसी-बीपी की मीटिंग संख्या 151 के अनुसार स्वीकृत किये जाकर,पत्रांक ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बीपीसी/2013/डी-1783 दिनांक 30/12/2013 के अनुसार आवासीय निर्माण हेतु अनुमोदित किये गए ।
4.	उल्लंघन की प्रकति	बिना अनुमति आवासीय भूखंड पर होटल का संचालन(व्यावसायिक गतिविधि)
5.	सम्बंधित ज़ोन	ज़ोन-7
6.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	प्रवर्तन अधिकारी;श्री सुरेन्द्र सिंह बांगड़वा
7.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	06/06/2019

जे.डी.ए. रिकॉर्ड के अनुसार भूखंड की स्थिति(हरे घेरे में)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2013/डी- 2783

दिनांक:- 30/12/2013

श्री प्रदीप रूंगटा,
निदेशक,
भूदेवा बिल्डहोम प्रा.लि.,
एन-5, मधुबन कॉलोनी (नोर्थ),
टॉक फाटक, जयपुर।

विषय :- भूखण्ड संख्या 142, विद्युत नगर 'बी' अजमेर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.2013 में भूखण्ड संख्या 142, विद्युत नगर 'बी' अजमेर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) में दिनांक 12.11.2013 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है:-

- 1 यह भवन अनुज्ञा माह नवम्बर-2020 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
5. भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
6. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
7. दरवाजे एवं खिडकियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
8. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
9. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

10. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
11. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
12. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।
13. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
14. आवेदक द्वारा जारी किये जा रहे अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार बेसमेन्ट/स्टिल्ट के पार्किंग क्षेत्र को अन्डरटेकिंग/समर्पणना में अनुसार भवन निर्मित होने पर जविप्रा के पक्ष में समर्पित किया जाना होगा एवं जिसका कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा विधिवत प्राप्त किया जावेगा।
15. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।

भवदीय


(नीरज तिवाड़ी)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. उपायुक्त, जोन-07, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक जोन-07, जविप्रा को सूचनार्थ भेजकर लेख है कि कृपया अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति उपायुक्त जोन से प्राप्त करें।
4. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/सर्वेयर, बीपीसी-द्वितीय, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु।


30/12/13

(नीरज तिवाड़ी)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

आवासीय निर्माण हेतु स्वीकृति

आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

11.	151.11	भूखण्ड संख्या-142 विद्युत नगर-बी योजना के आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. आवेदक द्वारा अनुमोदन हेतु हरी पत्रावली में आवेदन दिनांक 13.05.2013 को किया गया था। नगरीय विकास विभाग से भवन विनियम-2010 में संशोधन बाबत जारी आदेश दिनांक 20.09.2013 के बिन्दु संख्या 19 के अनुसार "ऐसे प्रकरण जो आदेश दिनांक 02.08.2013 से पूर्व आवेदित है। परन्तु जिन पर सक्षम समिति द्वारा निर्णय लिया जा चुका है उन सभी पर पूर्व के भवन विनियमों के प्रावधान लागू होंगे। जिन प्रकरणों में सक्षम समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे प्रकरणों में</p>
-----	--------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

MP

			<p>आवेदक पूर्व के नियम अथवा संशोधित प्रावधानों के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन कराने हेतु स्वतंत्र होगा।"</p> <p>आवेदक द्वारा पूर्व के भवन विनियम के अनुसार मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। प्रश्नगत भूखण्ड 9 मीटर सड़क पर स्थित होने के कारण वर्तमान प्रचलित भवन विनियम के अनुसार अधिकतम भूतल + दो मंजिलें अथवा 12 मीटर ऊँचाई मय स्टिल्ट अनुज्ञेय की जावे।</p> <p>2. गौके पर निर्मित स्टिल्ट तल के लिए बिना अनुमति निर्माण शरित ली जावे।</p> <p>3. स्टिल्ट व खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अप्ठरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

बीपीसी-बीपी मीटिंग संख्या-151

आवासीय स्वीकृत मानचित्र

